कार्यालय, नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांकः 171 /स्व0भा0मि0-सेल/ न0नि0मु0 / 2019 दिनांकः 5.11.2019

–::प्रकाशन सूचना::–

नगर निगम, मुरादाबाद की सीमान्तर्गत डेंगू एवं चिकनगुनिया, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतू उपविधि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 19 एवं 31 के अन्तर्गत बनायी गयी है। नगर निगम अधिनियम की धारा 543 के अन्तर्गत उपविधियाँ समाचार–पत्रों में दिनांक 06.11.2019 को प्रकाशित कर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है। इसके प्रकाशन तिथि से निर्धारित समय अवधि एक माह के भीतर आपत्तिया आमंत्रित की जाती है। अपनी आपत्तियां व सुझाव एक माह के भीतर पीलीकोठी स्थित स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद में प्राप्त करा दें। उक्त उपविधि का विवरण नगर निगम मुरादाबाद की वेबसाईट www.nagarnigammoradabad.in पर देखा जा सकता है

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :–

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र में (मुख्य पृष्ठ को छोडकर) 08 के फॉन्ट में प्रकाशन सूचना का एक बार प्रकाशन कर बिल समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. कम्प्यूटर लिपिक को तदनुसार एवं अनुपालनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर (आउटसोर्सिंग) को नगर निगम मुरादाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

नगर निगम, मुरादाबाद

नगर निगम, मुरादाबाद की सीमान्तर्गत डेंगू एवं चिकनगुनिया, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतू उपविधि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 19 एवं 31 के अन्तर्गत बनायी गयी है। नगर निगम अधिनियम की धारा 543 के अन्तर्गत उपविधियाँ समाचार–पत्रों में दिनांक 06.11.2019 को प्रकाशित कर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है। इसके प्रकाशन तिथि से निर्धारित समय अवधि एक माह के भीतर आपत्तिया आमंत्रित की जाती है। अपनी आपत्तियां व सुझाव एक माह के भीतर नगर निग कैम्प कार्यालय पीली कोठी कार्यालय स्वच्छ भारत मिशन एवं नगर निगम मुरादाबाद की वेबसाईट www.nagarnigammoradabad.in पर दर्ज की जा सकती

नगर निगम, मुरादाबाद मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम एवं नियन्त्रण उपविधि, 2019

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं विस्तार –

   - यह उपविधि नगर निगम, मुरादाबाद मलेरिया, डेंगू, कालाजार, एवं अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम एवं नियन्त्रण उपविधि कही जायेगी।
   - यह नगर निगम, मुरादाबाद की सीमा मे प्रवृत्त होगी।
   - यह उपविधि नगर निगम क्षेत्र सीमा में शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं– जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो इस उपविधि में–

   - नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम के नगर आयुक्त से है।
   - नगर स्वास्थ्य अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम, मुरादाबाद के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है।
   - संक्रमित क्षेत्र का तात्पर्य नगर निगम, मुरादाबाद की परिसीमा के अन्तर्गत आने वाला वह क्षेत्र जो शासन की अधिसूचना के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू, कालाजार या किसी संक्रामक रोग के प्रकोप के संकट, संक्रमित क्षेत्र महामारी अधिनियम संख्या–03 सन् 1897 तत्संबन्धित उत्तर प्रदेश मलेरिया, डेंगू कालाजार या आशंकाग्रस्त क्षेत्र उदघोषित कर दिया गया हो।

3. प्रतिषेध– नगर सीमान्तर्गत क्षेत्र में या क्षेत्र विशिष्ट या जिसे संक्रमित क्षेत्र अथवा आशंकाग्रस्त क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा उदघोषित किया गया हो, ऐसे क्षेत्र में नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी:–

   (1) किसी भी पशु निवास, गली, दुकान, मौहल्ले, कॉलोनी, मलिन बस्ती और निम्नस्थ क्षेत्र आदि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छत युक्त संरचनाओ सहित सभी प्रकार के परिसर में कोई भी भवन सम्पत्ति स्वामी अथवा अध्यासी:–

   (अ) ऐसा कोई प्रवाहहीन या प्रवाहशील जलसंग्रह नहीं करेगा या अंगरक्षित नहीं करेगा। जिसमें मच्छर पैदा होते हों या उनके पैदा होने की सम्भावना हो,

   (ब) किसी प्रकार का जल संग्रह नही करेगा, न करने देगा और न होने देगा जब तक कि ऐसा जल–संग्रह मच्छरों के पैदा होने के सम्बंध में प्रभावी रूप से सुरक्षित न कर लिया हो।

   (स) किसी नये भवन का निर्माण या निर्मित भवन का अध्यासन तब तक प्राप्त नही करेगा जब तक कि तत्सम्बन्धित भवन परिसर मे मच्छर रोधी प्रणाली से सम्बंधित आवश्यकतायें उपलब्ध न हों।

4– अभिज्ञापन –

किसी प्रवाहहीन या प्रवाहशील जल में लार्वा और प्यूपा का प्राकृतिक रूप मे विद्यमान होना इस तथ्य का प्रमाण होगा कि सम्बन्धित भवन, परिसर, संस्था, कार्यालय या निवास से सम्बन्धित इकाईयों में विद्यमान ऐसे जल में पैदा हो रहे हैं।

5 – मच्छरों का कीटनाशक से उपचार –

(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रो में जिन रूके हुये या बहते हुये पानी के स्थानों में जहां मच्छर पनप रहे हों या पनपने की सम्भवना है उन सभी के स्वामियों, अध्यासी जनों को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में (24 घण्टे से कम नहीं) उन क्षेत्रो में भौतिक रसायन अथवा जैविक या किसी भी विधि से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझता हो उन प्रजनन स्थलों की क्षेत्रों की उपचारिता करायेगा।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित भवन, परिसर, संस्था कार्यालय या निवास से सम्बन्धित ईकाईयों में जहां विद्यमान ऐसे जलों में लार्वा और प्यूपा सम्बन्धित भवन स्वामी या अध्यासी को नोटिस दिये जाने के बाद भी यदि किसी प्रकार का कोई उपचार नही किया जाता है, तथा नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी से नगर निगम द्वारा उस स्थल की उपचारिता करवाने में जो व्यय आयेगा वह व्यय सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी से नगर निगम सम्पत्ति कर की तरह वसूल किया जायेगा।

(3) उपविधि के अधीन अधिभोगी, अध्यासी, किरायेदार को यदि नोटिस दिया जाता है और उसके विपरीत कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यंजित (एम्प्लाइड) नही हुआ है। तो भवन स्वामी से नोटिस में वर्णित उपायों पर खर्च की गयी धन राशि वह वसूल कर सकता है अथवा भवन/परिसर स्वामी को देय में से काट सकता है।

6– व्यतिक्रम अथवा चूक पर कार्यवाही–

उपविधि (5) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में न करने/उपचार करने से मना करने की दशा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी उक्त उपाय करवा सकता है, और तत्सम्बन्धित व्यय यथास्थिति भवन/परिसर स्वामी, किरायेदार अथवा अध्यासी से वसूल कर सकता है। मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

7– मच्छर रोधी संरचानाएँ (कीट–सुरक्षा)

किसी भी भूमि या भवन में मच्छरो के प्रजनन को रोकने के लिये स्थानीय प्राधिकरण या शासन के निर्देश से अधिभोगी ने यदि कोई निर्माण कार्य करवाया है तो नगर आयुक्त उस भवन या भूमि का उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है। जो मच्छर रोधी इन संरचनाओं को क्षति पहुंचाये या कार्यकुशलता में गिरावट लाये।

8.– मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक –

नगर स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरो की उत्पत्ति रोकने के लिये नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़–छाड़ नही करेगा न ही उसे बिगाड़ेग, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी फिर उस संरचना को बनवायेगा या उस

सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9.–मच्छरों के पात्र या बर्तन –

घर, भवन, शेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नही रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

10– निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलपथ बिछाने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढ़े (बोरा पिट) इस प्रकार होगे कि उनमे पानी न भरा रहे। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन गड्ढो के किनारो को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये। गड्ढों के तले मे इस प्रकार ढाल और रूप दिया जाये कि नालियो से पानी एक गड्ढ़े से निकल कर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई गड्ढ़े नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हों।

11– यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद हो या इन उपबन्धो के अधीन कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार में मतभेद हो, तो इस मामले में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

12– स्वास्थ्य कर्मचारियों को भवन/परिसर में प्रवेश करने/निरीक्षण का अधिकार –

इस उपविधि के प्रर्वतन हेतू नगर स्वास्थ्य अधिकारी या सफाई निरीक्षक या कोई अन्य अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवक स–समय पर अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश कर सकेगा और इस हेतू भवन का यथास्थिति, मालिक या किरायेदार इस प्रवेश और निरीक्षण मे अपना पूरा सहयोग देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया नियंत्रण कार्य में जरूरत है।

13– शास्ति/दण्ड –

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देश/अनुदेश/आदेश/व्यवस्थायें इन उपविधियों के अधीन अंश माने जायेगें। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 467 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन मुरादाबाद नगर निगम एतद्द्वारा यह निर्देश देती है, कि इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के उल्लंघन पर रूपया 5000.00 जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम अवहेलना की दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो जुर्माना, 500.00 रूपये तक हो सकता है। प्रशमन शुल्क व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा आई0पी0सी0 133 व अन्य धाराओ मे वाद पंजीकृत किया गया है।

05/11/19

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।